न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 85/2014 दायरा दिनांक : 03.06.2014

उनवान

मुरारी पुत्र हरदेवा, जाति किराड, निवासी गन्नाखेडी, तहसील शाहबाद, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– रामचरण पुत्र भुज्जी सहरिया, निवासी गन्नाखेडी, तहसील शाहबाद, जिला बारां

2– श्रीमती पार्वती पत्नी रामचरण सहरिया, निवासी गन्नाखेडी, तहसील शाहबाद, जिला बारां

3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री नरेन्द्र गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 04.12.2017

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अतिरिक्त जिला कलेक्टर, शाहबाद के प्रकरण संख्या – 2/2013 निर्णय दिनांक 11.04.2014 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) प्रस्तुत कर यह कथन किया कि अप्रार्थी क्रम 1 और 2 को दिनांक 20.01.2007 को ग्राम गन्नाखेडी, तहसील शाहबाद में आराजी खसरा नम्बर 76 की 8 बीघा 15 बिस्वा में से 6 बीघे का आवंटन किया गया है । आवंटन कपटपूर्ण है इसलिए खारिज होने योग्य है । इस 6 बीघा आराजी पर प्रार्थी का 30 वर्ष से कब्जा है । आराजी आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं थी । आवंटन नियमों की अवहेलना की गई है । प्रार्थी को कई बार 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस दिये गये हैं । प्रार्थी भूमिहीन है । आराजी प्रार्थी को आवंटन योग्य है । अतः आवंटन निरस्त किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त कर प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि आवंटन कपटपूर्ण तरीके से किया गया है जो निरस्त होने योग्य है । आराजी पर 30 वर्ष से अपीलांट का कब्जा है । अपीलांट को समुचित सुनवायी का अवसर नहीं दिया है । आराजी पर वक्त आवंटन अपीलांट का कब्जा था । अपीलांट के पक्ष में गलत रूप से रिपोर्ट नहीं की गई है । सार्वजनिक सूचना आवंटन सलाहकार समिति द्वारा जारी नहीं की गई है । काफी मेहनत करके अपीलांट ने इस आराजी को कृषि योग्य बनाया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंटगण की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से अपीलांट का 14 (4) को प्रार्थना पत्र खारिज किया है । 6 बीघा आराजी का रेस्पोडेंट को आवंटन कपटपूर्ण तरीके से किया गया है । आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा उद्घोषणा जारी नहीं की गई है । आराजी पर 30 वर्ष से अपीलांट का कब्जा है । आराजी आवंटन के समय आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं थी । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति सलंग्न है जिसमें रेस्पोडेंटगण को वादग्रस्त आराजी का आवंटन आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया है । रेस्पोडेंटगण के खाते में 5 बीघा भूमि होना बताया गया है । इसके अलावा कुछ 91 के नोटिसों की फोटो प्रतियां पेश की गई है । अपीलांट का यह कथन है कि आवंटन कपटपूर्ण तरीके से किया गया है परन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, जिससे यह प्रमाणित हो कि आवंटन कपटपूर्ण तरीके से किया गया है । आवंटन, सलाहकार समिति के पूर्ण कोरम से किया गया है । रेस्पोडेंट सहरिया अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं उनके खाते में रिपोर्ट में अंकित आराजी के अलावा अन्य कोई आराजी भी है ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपीलांट ने पेश नहीं किया है । अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर 30 वर्षों से

अपना कब्जा बताते हैं यद्यपि 30 वर्षों से कब्जे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है फिर भी यदि तर्क के लिए उनके इस कथन को सही मान लिया जाये तो भी अतिक्रमी को आवंटन आदेश को चेलेन्ज करने का कोई लोकस स्टेन्डाई (Locus Standi) नहीं होता है और अतिक्रमी के कब्जे की आराजी को आवंटन के लिए उपलबध आराजी माना जाता है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.04.2014 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा